समन्वय अनुभाग

दिनांक 25.05.2015

संस्कृति मंत्रालय

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत स्वप्रेरित प्रकटीकरण

मद XVI : जनता द्वारा बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर

संस्कृति मंत्रालय का अधिदेश

प्रश्न (1) संस्कृति मंत्रालय का अधिदेश क्या है ?

संस्कृति मंत्रालय का अधिदेश कला एवं संस्कृति के सभी रूपों का परिरक्षण व संवर्धन करना है। इस प्रयोजनार्थ, संस्कृति मंत्रालय ऐसे कार्यकलाप करता है जो भारत सरकार की कार्य आबंटन नियमावली, 1961 के तहत आबंटित विषयों से सम्बद्ध है। इनमें मुख्यत: निम्नलिखित विषय शामिल हैं :

- देश की विरासत, प्राचीन स्मारकों तथा ऐतिहासिक स्थलों का अनुरक्षण व संरक्षण;
- साहित्यिक, दृश्य व मंच कलाओं का संवर्धन;
- पुस्तकालयों, संग्रहालयों व मानव विज्ञान संस्थानों का प्रशासन;
- अभिलेखागार अभिलेखों तथा अभिलेखीय पुस्तकालयों का अनुरक्षण, परिरक्षण व संरक्षण;
- सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण में अनुसंधान और विकास;
- महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विभूतियों व समारोहों की शताब्दियां और जयन्तियां मनाना;
- बौद्ध व तिब्बती अध्ययन संस्थानों व संगठनों का संवर्धन;
- कला और संस्कृति के क्षेत्र में संस्थागत और व्यक्तिगत पहलुओं का संवर्धन ; और
- सांस्कृतिक संगठनों का दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक करार करना और उनका कार्यान्वयन।

प्रश्न (2) अधिदेश कैसे कार्यान्वित किए जाते हैं ?

संस्कृत मंत्रालय के कार्यकलाप, इसके तहत 2 सम्बद्ध, 6 अधीनस्थ कार्यालयों व इसके सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों जो मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों की लोक और परंपरागत कलाओं संबंधी कार्य कर रहे हैं, सहित 34 स्वायत्त संगठनों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। जिनका ब्यौरा **मद संख्या - VI एवं VII** में दिया गया है।